

न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

पत्रावली संख्या... 60/2022... तारीख दाख... 16.8.22... दिनांक निर्णय... 8.9.22...

उनवान

रिपोर्ट पटवारी ~~हल्का~~ किरोनपुर बनाम घोलिया पुत्र बाबूलाल, कमल,
पत्नी रामफूल कौम मीना देवी
बावड़ी

आज पत्रावली मु. - राजगढ़ पेश हुई। गैरसायल उप अद्व. जवाब
पेश किया/नहीं करना चाहता है। सबूत गैरसायल बन्द की जानी है। अतिकमी का स. 200.2.79 का
नया कब्जा होना साबित होता है। अतिकमी काबिल बेदवली है।

अतः आदेश है कि-

गैरसायल घोलिया पुत्र बाबूलाल पुत्र कमलपत्नी रामफूल कौम मीना
जाति मीना निवासी बावड़ी को
आराजी खसरा नं. 4 रकबा 5.30 है किस्म चरागाह वाके ग्राम बावड़ी

से बेदखल किया जाता है तथा शरह लगान 1-00 की 50 गुणा में मु.
2000 ति के रुपये कायमी कराई जावे TRA व पटवारी की पालनार्थ लिखा लावें।

फसल नित्नामी हेतु गिरदावर/कानूनगो को लिखा जावें।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2022-23
के पृष्ठ संख्या 14 पर च. 90/-
राशि कायम किये गये।

पिबडि
त. रा. लेखाकार

अमल
नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)
राजगढ़ (अलवर)